राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प.2(30)नविवि/03/2016 जयपुर, दिनांकः– 4 OCT 2017

परिपत्र

विषयः– नगरीय क्षेत्रों के परिधि क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों मे प्रभावी मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान आबादी क्षेत्र के नियमन हेतु भूमि आरक्षण/आवंटन के संबंध में।

राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण/आवंटन के संबंध में दिनांक 07.09.2017 को परिपत्र जारी किया है जिसमें सिवाय चक भूमि पर बसे लोगों को राहत देने के उद्देश्य से निर्देश दिये गये है।

नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर निगम, नगर विकास न्यास, प्राधिकरण) के क्षेत्राधिकार में स्थित परिधि नियंत्रण क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार के आवास/आवासीय बस्तियॉ सिवायचक भूमि पर विद्यमान होने से उनके नियमन/आवंटन की मांग उठती रही है। इस प्रकार की भूमि या तो जिला कलक्टर के क्षेत्राधिकार में है या सम्बन्धित नगरीय निकाय को स्थानांतरिन्त हो चूकी है। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि उपरोक्त क्षेत्र में सिवायचक भूमि पर आमजन को राहत देने के उद्देश्य से दिनांक 01.01.17 तक बसी हुई बस्तियों/मकानो बाबत पट्टा देने की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

इस संबंध में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत या तो जिला कलक्टर ग्राम पंचायत का भूमि सेट अपार्ट कर सकता है या संबंधित नगरीय निकाय ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्राधिकार की सिवायचक भूमि आवंटित कर सकते हैं। इस संदर्भ में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न कार्यवाही की जावेंः–

1. प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में स्थित परिधि नियंत्रण क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजस्व गांवों में संबंधित तहसीलदार सिवायचक भूमि पर दिनांक 01.01.2017 तक आवास गृह बनाकर किये गये अतिक्रमणों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करेगें। सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमण कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शे की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हो, जिला कलक्टर को भिजवायेगें। परन्तु जो भूमि सिवायचक है एवं प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के नाम है ऐसी भूमि की सूची संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी।
2. दिनांक 01.01.2017 से पूर्व निर्मित आवास गृह की सूची तैयार करते समय राशन कार्ड, मतदाता सूची, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज' अवश्य संलग्न करावे जिससे यह विदित हो सके कि परिवार दिनांक 01.01.2017 से पूर्व निवास कर रहा है।
3. जिला कलक्टर/स्थानीय निकायों/प्राधिकरण/नगर विकास न्यास भूमि सेट अपार्ट करते समय यह ध्यान रखेगे कि जहॉ पर एक साथ बसावट हुई है उन भूमियों को ही आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट करेगें। छितराई आबादी बसावट को सेट अपार्ट करने में सावधानी रखेगें ताकि अनावश्यक भूमि सेट अपार्ट नही हो।